न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 25/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01.मागीलाल पुत्र श्री बीजाराम जाति विश्नोई निवासी फीच तहसील लूणी		01.किशोर कुमार पुत्र बदीलाल 02.अशोक कुमार पुत्र श्री बदीलाल जाति श्रीमाली बाम्हण निवासी गाव फीच तहसील लूणी 03.राजेन्द्र पुत्र श्री अन्नराज जाति बाम्हण निवासी गाव नदवान तहसील लूणी 04.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थिति –

01.प्राथी की और से अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया ।
02.अप्रार्थीगण की और कोई अधिवक्ता उपस्थिति नही ।

आदेश दिनांक :– 01/01/2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी के खातेदारी एव कब्जा काश्त की भूमि के खसरा नम्बर 801 के लिये उपरोक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई मार्ग नही है उक्त मार्ग को मेरे खातेदारी के खेत के दक्षिणी दिशा के खसरा नम्बर 800 व 799/2 के अदर पूर्वी माठ के सहारे सहारे होकर फीच सालावास जाने वाले कटाणी मार्ग तक पिढियो से रास्ते के रूप मे उपयोग करता आ रहा हूँ जिसको भी प्रार्थी संख्या 3 बिना किसी कारण के बंद करने की धमकी दी है मेरे खेत मे से कटाणी मार्ग के लिए उक्त रास्ता ही निकटतम पडता है प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित अपनी कृषि भूमि के लिए संलग्न नक्शे मे लाल स्याही से दर्शाये 30 फुट चौडाई मे मार्ग को दिलाये जाने हेतु प्रार्थी को रास्ते उपलब्ध करने हेतु प्रार्थी द्वारा न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये लेकिन उनकी तरफ से कोई हाजिर नहीं हुए । तहसीलदार लूणी द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गयी जो शामिल मिशल हैं । तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट भी प्रार्थी गण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का समर्थन करती हैं ।

बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । मौका फर्द दिनांक 03..02.2020 अनुसार प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते का खसरा संख्या 799/2 व 800 में से 15 फुट चौड़ाई अनुसार रास्ते दिया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थी को उपलब्ध करवाया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

ऐसी स्थिति मे धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्पष्ट प्रावधान है कि किसी खातेदार की जोत मे पहुचने का कोई रास्ता न हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव होने एव रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होने पर लधुतम एव निकटतम मार्ग उपलब्ध करवाये जाने के प्रावधान है। उक्त प्रकरण मे प्रार्थीगण के अभिवचन /बहस एव तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 799/2 व 800 में से मौका फर्द दिनांक 03.02.2020 अनुसार 15 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध करवाया जाता हैं । उसकी कृषि भूमि की डीएलसी दर से तहसीलदार लूणी गणना कर प्रार्थी को उपलब्ध करवायें तथा उक्त राशि प्रार्थीगण तहसीलदार लूणी के समक्ष चैक अथवा डीडी अप्रार्थीगण के हिस्सो अनुसार बनाकर तहसीलदार लूणी के समक्ष पेश करें । उक्त राशि तहसीलदार लूणी के समक्ष पेश करने पर तहसीलदार लूणी राजस्व रेकर्ड में रास्ते को अमल दरामद करें तथा मौके पर जाकर रास्ता खुलवाया जावें । मौका फर्द दिनांक 03.02.2020 के अनुसार 15 फुट चौडा रास्ता दिया जावे। मौका फर्द दिनाक 03.02.2020 इस आदेश का अभिन्न अंग समझी जावेंगी । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

([illegible] कांसोदिया) RAS

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी